UPKN010074592026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम), कानपुर नगर।

पीठासीन अधिकारी: शुचि श्रीवास्तव.....(ID–UP 6109)

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2650/2026

राजकुमार त्रिपाठी, उम्र–63 वर्ष पुत्र रामसागर त्रिपाठी
निवासी– मकान नम्बर–117/147, पी–ब्लाक, हितकारी नगर, काकादेव, जिला कानपुर नगर।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0 प्र0 राज्य द्वारा विशेष लोक अभियोजक, कानपुर नगर।

..... **अभियोजन**

अपराध सं0–317/2019
धारा–406, 420, 120बी भा.दं.सं.
थाना–कोतवाली, कानपुर नगर।

दिनांक–27.07.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त राजकुमार त्रिपाठी की ओर से अपराध सं0–317/2019 धारा–406, 420, 120बी भा.दं.सं., थाना– कोतवाली, कानपुर नगर में अग्रिम जमानत प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. ***संक्षेप में*** अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि, "प्रार्थी रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त हो चुका है तथा प्रार्थी की सगी बडी बहन सुमनलता बाजपेई थी जो कि स्वास्थ्य विभाग में मुरारीलाल चेस्ट हास्पिटल में कार्यरत थी तथा प्रार्थी की बडी बहन सुमनलता ने अपने जीवन काल में कोई शादी नही की थी। यह कि सुमनलता बाजपेई का हेड पोस्ट ऑफिस कानपुर नगर में बचत खाता था जिसका न0– 0216144682 और एम आई एस खाते का नम्बर जो प्रार्थनापत्र के अन्त में अंकित किया जाता है तथा उनका पोस्ट ऑफिस बैंकिग का काम प्रशान्त गुप्ता पुत्र कृष्ण कुमार गुप्ता करता था। जो कि पोस्ट ऑफिस का ऐजेंट है। इधर सुमनलता बाजपेई की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी इसलिये प्रशान्त गुप्ता ने कहा कि आप बचत खाता व एम आई एस खाता की पास बुक हमें दे दो हम लेन देन का काम करते रहेगे और आपका पैसा आपको निकाल कर दे देंगे तथा सुमलता बाजपेई को अपने इलाज के लिये पैसो की सख्त आवश्यकता रहती थी। इस प्रकार प्रशान्त गुप्ता ने सुमनलता बाजपेई व प्रार्थी को विश्वास में लेकर तथा पोस्ट ऑफिस के खाते पैसा निकालता रहा जिसकी जानकारी प्रार्थी व उसकी बहन सुमनलता बाजपेई को नहीं हो पाई। यह कि दिनांक– 01.02.2019 को सुमनलता

वाजपेई की बीमारी के कारण मृत्यु हो गयी तथा प्रार्थी ने डाकखाने में जाकर बाते के बारे में पता लगाया तो जानकारी हुई कि खाते से सम्पुर्ण धनराशि निकाली जा चुकी है जिस पर प्रार्थी परेशान हो गया उपरोक्त प्रशान्त गुप्ता ने कोई भी पैसा प्रार्थी व उसकी बहन सुमनलता बाजपेई को कभी नहीं दिया। जब प्रार्थी प्रशान्त गुप्ता पुत्र कृष्ण कुमार गुप्ता से मिला और बातचीत की तो वह इधर उधर की बाते करने लगा बाद में जब प्रार्थी ने कुछ लोगो के माध्यम से यह बात उनके सामने रखी तो वह मान गया कि यह पैसा मेने निकाला है तब कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने दिनांक 22.03.2019 को प्रशान्त गुप्ता पुत्र कृष्ण कुमार गुप्ता ने लिखकर भी दिया कि मैंने सम्पूर्ण धनराशि निकाल ली थी जिसमें मुख्य डाकघर के कर्मचारियों की मिली भगत है तथा प्रार्थी ने अपनी बहन के हस्ताक्षर कराकर बीस हजार रुपये के एक बाउचर दे दिये थे तथा प्रशान्त गुप्ता ने यह भी लिख कर दिया कि दिनांक– 02.04.2019 को उक्त खाते से निकाला गया समस्त रुपया लगभग पाँच लाख प्रार्थी का दे देगा लेकिन दिनांक– 02.04.2019 तारीख गुजर जाने के बाद भी उक्त प्रशान्त गुप्ता ने प्रार्थी को पैसा नहीं दिया तथा घर पर जाने पर टाल मटोल करता रहा और प्रार्थी को देख कर छिप जाता था। 01.02.2019 मृत्यु के बाद भी फर्जी हस्ताक्षर कर व अपना फोन नम्बर व एकाउन्ट नम्बर एस एम एस हेतु दर्ज करा कर ताकि निकासी की जानकारी न हो पावे और सम्पूर्ण धनराशि निकाल ली। यह कि इसके पश्चात दिनांक 10.05.2019 को शाम लगभग 6:00 बजे प्रार्थी प्रशान्त गुप्ता पुत्र कृष्ण कुमार गुप्ता के पास गया तो वह मिला और जब मैने उससे पैसे वापस करने के लिये कहा तो वह माँ बहन की बुरी बुरी गालियाँ देने लगा और बोला कि अब कोई पैसा वापस नहीं करुगा और दोबारा यहा आये तो जान से मार दूंगा तथा लडाई झगडे पर आमादा हो गया। इस प्रकार प्रशान्त गुप्ता गुप्ता ने प्रार्थी की बहन सुमनलता बाजपेई का रुपया बेईमानी से हड़प लिया है और विश्वासघात किया है।"

3. वादी मुकदमा की तहरीर पर थाना कोतवाली में प्रशान्त गुप्ता व डाकघर के अज्ञात कर्मचारीगण के विरुद्ध अपराध सं0–317/2019 अंतर्गत धारा–420, 467, 468, 471, 120बी, 504, 506 भा.दं.सं. में मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना आवेदक का नाम प्रकाश में आया। विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए आवेदक के विरुद्ध पूरक आरोपपत्र संख्या–286ए/2022 अंतर्गत धारा–406, 420, 120बी भा.दं.सं. न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत आवेदन को संदर्भित करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना आवेदक के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। विवेचक ने आवेदक के विरुद्ध प्रारम्भ एवं सम्पन्न की गई विभागीय कार्यवाही पर भरोसा किया है, जबकि उक्त विभागीय जांच के सभी निष्कर्षों को Central Administrative Tribunal, Allahabad द्वारा O.A. No. 150 of 2023, Raj Kumar Tripathi vs. Union of India & Others, निर्णय दिनांक 21.01.2026 में निरस्त कर दिया गया है। आरोप–पत्र में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 एवं 420 का आरोप लगाया गया है, जो कि **Delhi Race Club vs State of U.P.** में प्रतिपादित विधि के स्थापित सिद्धांत के विपरीत है। उक्त निर्णय के अनुसार, एक ही घटना एवं

समान तथ्यों के आधार पर धारा 406 एवं 420 भारतीय दण्ड संहिता का एक साथ लागू होना विधिसम्मत नहीं है। सह–अभियुक्तगण राम नरेश प्रजापति एवं श्याम लाल को इसी न्यायालय द्वारा इन्हीं आरोपों एवं अभियोगों के संबंध में अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। सह–अभियुक्त राम नरेश प्रजापति एवं श्याम लाल की नकद भुगतान (कैशियर) में मुख्य भूमिका थी तथा समस्त कथित अपराध इन्हीं दोनों द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके किए गए। एम.आई.एस. (Monthly Income Scheme) अनुभाग भुगतान एवं नकदी के लिए उत्तरदायी था तथा उक्त अनुभाग के प्रभारी अरविन्द दुबे थे और श्याम लाल उनके अधीन कार्यरत था। इसके विपरीत, आवेदक सेविंग बैंक अनुभाग का प्रभारी था तथा उसका एम.आई.एस. (Monthly Income Scheme) के लेन–देन में कोई प्रत्यक्ष अथवा सक्रिय दायित्व नहीं था। आवेदक केवल एम.आई.एस. अनुभाग के निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। अतः लाभार्थी एवं एम.आई.एस. अनुभाग के मध्य हुए कथित लेन–देन में आवेदक की कोई प्रत्यक्ष एवं सक्रिय भूमिका नहीं थी। आरोप–पत्र में वर्णित समस्त निष्कर्ष मात्र अनुमान, अटकलबाजी एवं कल्पना पर आधारित हैं तथा आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस एवं निर्णायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। केवल अनुमान एवं अटकलों के आधार पर आवेदक को कारागार भेजा जाना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त उसके जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। विधि व्यवस्था **Siddharth vs State of U.P.** में प्रतिपादित विधि के स्थापित सिद्धांत के अनुसार, यदि अभियुक्त ने विवेचना में पूर्ण सहयोग किया है, तो केवल आरोप–पत्र दाखिल होने के आधार पर प्रत्येक अभियुक्त की गिरफ्तारी करना अनिवार्य नहीं है। आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया अथवा विचारण (ट्रायल) से फरार होने की कोई संभावना नहीं है तथा वह इस न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्येक नियम एवं शर्त का पूर्णतः पालन करने के लिए तैयार है। वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जावे।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर षडयंत्र करते हुए धोखाधड़ी से वादी मुकदमा की बहन सुमनलता के बचत खाते में जमा संपूर्ण धनराशि को हड़प लिया गया है। विवेचक द्वारा आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। यदि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया तो वह जमानत का दुरुपयोग करेगा तथा विचारण में सहयोग नहीं करेगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अभियोजन प्रपत्रों व केसडायरी के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर षडयंत्र करते हुए धोखाधड़ी से वादी मुकदमा की बहन सुमनलता के बचत खाते में जमा संपूर्ण धनराशि को हड़पने का अभियोग है। अभियोजन द्वारा वादी की बहन के खाते से रुपये का लेनदेन मुख्य रूप से सहअभियुक्त प्रशान्त गुप्ता द्वारा किया जाना कथित है। आवेदक

प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। दौरान विवेचना आवेदक का नाम प्रकाश में आया है। आवेदक वृद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विवेचक द्वारा प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर आवेदक के विरुद्ध धारा–406, 420, 120बी भा.दं.सं. में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने पर रोक लगाई गयी थी। दौरान विवेचना आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया है। प्रकरण की विवेचना शेष नहीं है। पूर्व मे सहअभियुक्त रामनरेश प्रजापति व श्यामलाल की अग्रिम जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक पर लगाया गया आरोप अधिकतम सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है।

8. मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि–व्यवस्था **सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी.बी.आई.** व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य 2025 ए०एच०सी० 136034** में दिये गये दिशानिर्देशों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर विचार किये बिना आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

9. आवेदक/अभियुक्त राजकुमार त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस द्वारा आवेदक को गिरफ्तार किये जाने पर या न्यायालय द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने की दशा में आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु०–50,000/–रुपये (पचास हजार रुपये) की व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने व न्यायालय की संतुष्टि पर इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है कि वे प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेगा, अनावश्यक रूप से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नही करेगी और विचारण की कार्यवाही में पूर्ण रूप से सहयोग करेगा।

(**शुचि श्रीवास्तव**)
ID–UP 6109
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
कानपुर नगर।

दिनांक–27.07.2026

Digitally signed by Shuchi Srivastava
Date: 2026.07.30 11:17:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court